झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय सूची

उद्देशिका

धारा

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।
2. परिभाषाएं ।
3. अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि ।
4. कल्याण निधि समिति का गठन ।
5. समिति के नामनिर्देशित सदस्यों की निरर्हता एवं हटाना ।
6. समिति के नामनिर्देशित सदस्य द्वारा त्याग पत्र देना तथा आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना ।
7. समिति का कोई कार्य त्रुटि, रिक्ति आदि के कारण अविधिमान्य नहीं होना ।
8. निधि का निवेश एवं उपयोजन करना ।
9. समिति के कृत्य ।
10. उधार लेना तथा निधि का निवेश करना ।
11. सचिव की शक्ति और कर्तव्य ।
12. झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि की मुहर ।
13. अधिवक्ता लिपिक संघ की मान्यता एवं निबंधन ।
14. अधिवक्ता लिपिक संघ के कर्तव्य ।
15. निधि की सदस्यता ।
16. नियोजन समाप्त होने पर निधि से भुगतान ।
17. निधि के सदस्यों के हित में अन्यसंक्रामण, जब्ती आदि पर पाबन्दी ।
18. सदस्यों के लिए समूह जीवन बीमा और अन्य लाभ ।
19. समिति की बैठक ।
20. समिति के सदस्यों के लिए यात्रा एवं दैनिक भत्ता ।
21. पुनर्विलोकन ।
22. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण ।
23. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ।
24. साक्षियों को सम्मन देने और साक्ष्य लेने की शक्ति ।
25. नियम बनाने की शक्ति ।

झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि विधेयक, 2018
[सभा द्वारा यथापारित]

उद्देशिका :-

चूँकि झारखण्ड राज्य में अधिवक्ता लिपिकों के सेवांत एवं अन्य लाभों के भुगतान और इनसे सम्बंधित या अनुषंगिक मामलों के लिए कल्याण निधि के गठन का उपबंध करना समीचीन हो गया है ;

इसलिए यह झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा भारत-गणतंत्र के उनहत्तरवे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि अधिनियम, 2018 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना निर्गत कर इस निमित नियत तिथि से प्रवृत होगा ।

2. परिभाषाएँ :-

जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक इस अधिनियम में :-

(क) 'अधिवक्ता' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति, जिसका नाम भारतीय विधिज्ञ परिसद नियमावली, 1975 तथा समय-समय पर संशोधित सुसंगत उपबंधों के साथ सहपथित अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद् द्वारा तैयार एवं अनुरक्षित राज्य अधिवक्ता नामावली में नामांकित हो;

(ख) 'अधिवक्ता लिपिक' से अभिप्रेत है किसी अधिवक्ता द्वारा नियोजित और यथा विहित प्राधिकार एवं रीती से मान्यता प्राप्त कोई लिपिक जो अधिवक्ता लिपित संघ का सदस्य हो ।

(ग) 'अधिवक्ता लिपिक संघ' से अभिप्रेत है धारा - 13 के अधीन मान्यता प्राप्त एवं निबंधित अधिवक्ता लिपिक संघ;

(घ) 'अधिवक्ता संघ' से अभिप्रेत है अधिवक्ता/विधिज्ञ/वकील का संघ जो राज्य विधिज्ञ विधिज्ञ परिषद् से मान्यता प्राप्त/ संबद्ध हो;

(ङ) 'विधिज्ञ परिषद्' से अधिप्रेत है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन गठित झारखण्ड राज्य विधिज्ञ परिषद् ;

(च) 'नियोजन का समापन' से अभिप्रेत है समिति द्वारा अनुरक्षित राज्य नामावली से अधिवक्ता लिपिक की सेवानिवृत्ति के चलते नाम हटाना ;

(छ) 'समिति' से अभिप्रेत है धारा- 4 के अधीन गठित झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि समिति ;

(ज) 'आश्रित' से अभिप्रेत है झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि के सदस्य की पत्नी, पति, पिता, माता एवं अविवाहित नाबालिग बच्चा अथवा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चें ;

(झ) 'निधि' से अभिप्रेत है धारा - 3 के अधीन गठित झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि ;

(ञ) 'सरकार' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार ;

(ट) 'निधि के सदस्य' से अभिप्रेत है ऐसा कोई अधिवक्ता लिपिक जिसे निधि से लाभ स्वीकृत किया गया है तथा वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसका सदस्य बना रहे ;

(ठ) 'अधिसूचना' से अभिप्रेत है झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना तथा 'अधिसूचित' शब्द तदनुसार माना जाएगा ;

(ड) तदनुसार 'विहित' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित ;

(ढ) 'सेवानिवृत्ति' से अभिप्रेत है सेवा या किसी अन्य लाभप्रद पेशा में योगदान करने से भिन्न किसी कारण के चलते अधिवक्ता लिपिक के रूप में नियोजन की समाप्ति, जिसे विहित रीति से लिखित रूप में संसूचित किया गया हो ;

(ण) 'सचिव' से अभिप्रेत है समिति का सचिव ;

(त) 'मुहर' से अभिप्रेत है धारा- 12 के अधीन मुद्रित एवं वितरित, झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि की मुहर ; और

(थ) 'वकालतनामा' से अभिप्रेत वकालतनामा तथा इसमें शामिल है हाजिरी का ज्ञापन या कोई अन्य कागजात जिसके द्वारा कोई अधिवक्ता किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकार के समक्ष उपस्थित होने या अभिवचन करने के लिए सशक्त बनता है। किन्तु राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के पदाधिकारी के निमित भरा गया हाजिरी ज्ञापन इसमें सम्मिलित नहीं होगा।

3. **अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि**

1. सरकार अधिसूचना द्वारा झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नामक एक निधि का गठन करेगी।

2. निधि में निम्नलिखित रकम जमा की जाएगी:-

(क) धारा- 12 के अधीन टिकटों (स्टाम्प) की बिक्री से प्राप्त सभी रकम ;

(ख) विधिज्ञ परिषद् , कोई विधिज्ञ संघ, कोई अन्य संघ या संस्था, कोई अधिवक्ता या कोई अन्य व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से किया गया दान अथवा निधि सृजन के लिए दिये गये अंशदान से प्राप्त रकम ;

(ग) धारा- 10 के अधीन उधार ली गयी कोई रकम;

(घ) निधि के किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात समूह बीमा नीति के अधीन भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा किसी अन्य बीमा कम्पनी से प्राप्त सभी रकम ;

(ङ) निधि के सदस्यों के समूह बीमा नीति से संबंधित भारतीय जीवन बीमा निगम या कोई अन्य बीमा कम्पनी से प्राप्त कोई लाभ या लाभांश ;

(च) निधि के किसी अंश के किए गए निवेश पर प्राप्त कोई लाभांश का ब्याज या अन्य लाभ ; और

(छ) धारा- 15 के अधीन एकत्र की गयी सभी रकम।

4. **कल्याण निधि समिति का गठन:-**

(1) सरकार अधिसूचना द्वारा झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि समिति नाम का एक समिति का गठन करेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तिथि से प्रवृत्त होगी।

(2) समिति एक निगमित निकाय होगी जिसके पास शाश्वत उत्तराधिकार तथा सम्पत्ति के अर्जन, रखने एवं निपटान की शक्ति के साथ एक सामान्य मुहर(सील) होगी और वह उक्त नाम से वाद चला सकती है या उस पर वाद चलाया जा सकता है।

(3) समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) विधिज्ञ परिषद् का अधयक्ष ;

(ख) सरकार का प्रधान सचिव, विधि विभाग;

(ग) सरकार का प्रधान सचिव, गृह विभाग ;

(घ) सरकार का प्रधान सचिव, वित्त विभाग ;

(ङ) झारखण्ड उच्च न्यायालय का महानिबंधक ;

(च) यथाविहित प्राधिकार एवं रीति से अधिवक्ता लिपिकों में से नाम निर्देशित तीन सदस्य, जिन में से एक को समिति द्वारा निधि का कोषाध्यक्ष मनोनित किया जाएगा ; और

(छ) सचिव की भर्ती एवं सेवा शर्तो के सम्बन्ध में समिति द्वारा बनाए गए विनियम के अनुसार अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाने वाला सचिव ;

परन्तु इस प्रकार नियुक्त सचिव के पास समिति की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) विधिज्ञ परषिद् का अध्यक्ष समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।

(5) सरकार के प्रधान सचिव, विधि विभाग, सरकार के प्रधान सचिव, गृह विभाग, सरकार के प्रधान सचिव, वित्त विभाग और झारखण्ड उच्च न्यायालय के महानिबंधक समिति के पदेन सदस्य होंगे।

(6) सरकार के प्रधान सचिव, विधि विभाग, सरकार के प्रधान सचिव, गृह विभाग, सराकर के प्रधान सचिव, वित्त विभाग यदि किसी कारण से समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो वे अपने अपने विभाग से उप सचिव स्तर से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी को बैठक में शामिल होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।

(7) यदि झारखण्ड उच्च न्यायालय के महानिबंधक किसी कारण से समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो वे उप निबंधक स्तर से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी को बैठक में शामिल होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।

(8) उप-धारा (3) के खंड (च) के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य अपने नाम निर्देशन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक अथवा अधिवक्ता लिपिक संघ के सदस्य रहने तक, जो भी पहले हो पद धारण करेगा।

(9) सचिव को निधि से यथा विहित रीति से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

5. समिति के नाम निर्देशित सदस्यों की निरर्हता एवं हटाना:-

1. धारा- 4 की उप-धारा- (3) के खंड- (च) के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य समिति की सदस्यता से निरर्हित हो जाएगा तथा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यदि वह-

(क) विक्षिप्त हो जाए ; या

(ख) न्याय निर्णीत दिवलिया घोषित हो, या

(ग) समिति की अनुमति के बिना समिति की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहें;

परन्तु इस खंड के अधीन सदस्यता समाप्त सदस्य की सदस्यता को समिति द्वारा प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, यदि वह सदस्य अनुपस्थिति माफ़ करने के लिए आवेदन करता है; या

(घ). निधि का व्यतिक्रमी है (यदि वह निधि का सदस्य है) या उसने विश्वास भंग किया है ; या

(ङ). चरित्रहीन आचरण के अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो, जबतक कि ऐसे सिद्धदोष को अपास्त न किया जाए।

2. सरकार किसी ऐसे सदस्य को हटा सकती है जो उप धारा- (1) के अधीन समिति की सदस्यता से निरर्हित हों या हो गए हों।

परन्तु किसी सदस्य को हटाए जाने का आदेश तबतक पारित नहीं किया जाएगा जबतक कि सदस्य को सुने जाने का अवसर न दिया गया हो।

6. समिति के नाम निर्देशित सदस्य द्वारा त्याग पत्र देना तथा आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना-

(1). धारा- 4 की उप-धारा- (3) के खंड (च) के अधीन नाम निर्देशित कोई सदस्य समिति के अध्यक्ष को तीन माह की लिखित सूचना देते हुए अपना पद त्याग कर सकता है और जब उक्त अध्यक्ष द्वारा उसका त्याग पत्र स्वीकृत हो जाता है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा।

(2) उप-धारा- (1) में निर्दिष्ट सदस्य की कोई आकस्मिक रिक्ति यथा संभव शीघ्र भरी जाएगी और ऐसी रिक्ति के विरूद्ध नाम निर्देशित सदस्य अपने पूर्ववर्ती सदस्य की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

7. समिति का कोई कार्य त्रुटि रिक्ति आदि के कारण अविधिमान्य नहीं होगा :–

इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम के अधीन समिति द्वारा किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होंगे:-

(क) समिति के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि ; या

ख. सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नाम निर्देशन में कोई त्रुटि या अनियमितता ; या

ग. ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई त्रुटि या अनियमितता के मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करेगी।

8. **निधि का निहित होना एवं उपयोजन:-**

इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एवं उपबंधो के अध्यधीन निधि समिति में निहित होगी एवं उसके द्वारा उसका धारण एवं उपयोजन किया जाएगा।

9. **समिति के कृत्य:-**

(1) समिति का कृत्य निधि का संचालन करना होगा ;

(2) समिति द्वारा निधि का संचालन इस अधिनियम एवं एतद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा:-

(क) निधि की रकम एवं परिसम्पतियों को रखना ;

(ख) निधि में नामांकन या पुनर्नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त करना तथा प्राप्ति की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर आवेदन का निष्पादन करना ;

(ग) यथास्थिति, निधि के सदस्यों उनके मनोनीतों या विधिक प्रतिनिधियों से निधि से भुगतान के लिए आवेदन प्राप्त करना;

(घ) आवेदनों के निष्पादन हेतु यथावश्यक जाँच-पड़ताल कराना तथा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पाँच माह के भीतर उसका निष्पादन करना ;

(ड़) आवेदनों पर समिति के निर्णय की कार्यवृत्तपुस्तिका का रख-रखाव ;

(च) अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर आवेदकों को रकम का भुगतान करना ;;

(छ) यथाविहित लेखा एवं पुस्तिका का संधारण तथा पत्रिका और वार्षिक प्रतिवेदन विधिज्ञ परिषद् को भेजना ;

(ज) निधि में नामांकन या पुनर्नामांकन अथवा निधि के लाभ के दावा हेतु आवेदनों से संबंधित समिति के निर्णय को आवेदकों के पास डाक प्रमाणन के जरिए संसूचित करना ; और

(झ) इस अधिनियम एवं एतद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन यथापेक्षित कार्य करना जिसमें समिति के कार्यालय हेतु कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का प्रावधान करना भी शामिल है।

10. **उधार लेना तथा निधि से निवेश करना:-**

(1) समिति विधिज्ञ परिषद्की पूर्वानुमति से इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए समय-समय पर अपेक्षित कोई रकम उधार ले सकती है।

(2) समिति निधि के भाग रूप सभी राशि एवं प्राप्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में जमा करेगी अथवा केन्द्र या राज्य सरकार स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम को ऋण देने में अथवा सरकार के पूर्वानुमोदन से विधिज्ञ परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा निदेशित रीति से निवेश करेगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन बकाया एवं भुगतेय सभी रकम और निधि के प्रबंधन एवं नियंत्रण से संबंधित सभी व्यय का भुगतान निधि से किया जाएगा।

(4) समिति द्वारा नियुक्त चार्टड एकांउटेन्ट समिति के सभी लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा करेंगे।

(5) समिति लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित सभी लेखा तथा उनके लेखा प्रतिवेदन को विधिज्ञ परिषद् को अग्रसारित करेगी तथा विधिज्ञ परिषद् समिति को ऐसा निदेश देगी जो वह उपयुक्त समझे।

(6) समिति उप-धारा- (2) के अधीन विधिज्ञ परिषद् द्वारा निर्गत निदेशों को अनुपालन करेगी।

11. **सचिव की शक्ति और कर्तव्य:-**

(क) वह समिति का मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी तथा समिति के निर्णयों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा ;

(ख) समिति की ओर से चलाए गए सभी वाद एवं कार्यवाही में उसका प्रतिनिधि होगा ;

(ग) वह अपने हस्ताक्षर द्वारा समिति के सभी निर्णय एवं अनुदेश का प्रमाणन करेगा ;

(घ) वह कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से समिति के सभी बैंक खातों का प्रचालन करेगा ;

(ङ) समिति की बैठक का आयोजन तथा उसकी कार्यवृत्त तैयार करेगा ;

(च) समिति की सभा बैठक में सभी आवश्यक अभिलेख एवं सूचना के साथ उपस्थित रहेगा ;

(छ) समय-समय पर यथा विहित फारम, पंजी एवं अन्य अभिलेख का संधारण तथा समिति से संबंधित सभी पत्राचार करेगा ;

(ज) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान समिति द्वारा किए गए कार्य-संव्यवहार की वार्षिक विवरणी तैयार करेगा ;

(झ) समिति द्वारा यथा निदेशित कार्य करेगा।

12. **झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि की मुहर:-**

(1) विधिज्ञ परिषद् द्वारा यथा विहित फारम तथा झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि लिखा हुआ मुहर यथा विहित रीति से मुद्रित किया या करवाया जाएगा, प्रत्येक का मूल्य पाँच रू0 होगा।

(2) किसी न्यायालयए न्यायाधिकरण के समक्ष दाखिल हर वकालतनामा या हाजिरी ज्ञापन पर न्यायालय शुल्क स्टाम्प यदि कोई हो एवं किसी अन्य अधिनियम के अधीन चिपकाए गए स्टाम्पों के अतिरिकत उप-धारा- (1) में यथा विनिर्दिष्ट स्टाम्प चिपकाया जाएगा तथा जबतक कि ऐसा स्टाम्प नहीं चिपकाया गया हो तबतक कोई वकालतनामा या हाजिरी ज्ञापन विधिमान्य नहीं होगा ;

परन्तु केन्द्र या राज्य सरकार की ओर से दाखिल किसी वकालतनामा या हाजिरी ज्ञापन के लिए यह उप-धारा लागू नहीं होगी।

(3) ऐसा स्टाम्प सहित वकालतनामा प्राप्त करने वाला व्यक्ति या प्राधिकारी तत्काल प्रभाव से उस स्टाम्प को पंच करते हुए रद्द कर देगा।

(4) इस धारा के अधीन मुद्रित स्टाम्पों को विधिज्ञ परिषद् की अभिरक्षा में रखा जाएगा तथा स्टाम्पों की आपूर्ति एवं बिक्री यथा विहित रीति से की जाएगी।

13. **अधिवक्ता लिपिक संघ की मान्यता एवं निबंधन:-**

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात गठित अधिवक्ता लिपिक संघ अपने गठन के दो माह के भीतर तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व गठित अधिवक्ता लिपिक संघ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से दो माह के भीतर इस अधिनियम के अधीन अधिवक्ता लिपिक संघ के रूप में मान्यता प्रदान एवं निबंधन करने हेतु यथा विहित फारम में एवं रीति से समिति के पास आवेदन करेगा।

(2) मान्यता एवं निबंधन हेतु हर आवेदन के साथ संघ की नियमावली या उप-विधि, पदधारियों के नाम एवं पता तथा संघ के सदस्यों के नाम, पता, उम्र एवं नियोजन-स्थल सहित अद्यतन सूची संलग्न रहेगी।

(3) समिति यथावश्यक जाँच-पड़ताल करने के पश्चात अधिवक्ता लिपिक संघ के रूप में संघ को मान्यता प्रदान करेगी तथा यथाविहित फारम में मान्यता एवं निबंधन का प्रमाण पत्र निर्गत करेगी।

(4) संघ की मान्यता एवं निबंधन के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा।

14. **अधिवक्ता लिपिक संघ के कर्त्तव्य :-**

(1) हर अधिवक्ता लिपिक संघ प्रत्येक वर्ष के 15 अप्रैल के पूर्व उस वर्ष 31 मार्च तक बने अपने सदस्यों की सूची संसूचित करेगा।

(2) हर अधिवक्ता लिपिक संघ समिति को संसूचित करेगा -

(क) अधिवक्ता लिपिक संघ के पदधारियों में कोई परिवर्तन होने पर परिवर्तन होने से पन्द्रह दिनों के भीतर ;

(ख) नामांकन एवं पुनर्नामांकन सहित सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन होने पर परिवर्तन से तीस दिनों के भीतर ;

(ग) किसी सदस्य की मृत्यु या सेवा निवृत्ति होने पर 30 दिनों के भीतर ;

(घ) समिति द्वारा समय-समय पर यथापेक्षित अन्य मामले।

15. **निधि की सदस्यता :-**

(1) राज्य का हरेक अधिवक्ता लिपिक निधि के सदस्य के रूप में नामांकन हेतु यथा विहित फारम एवं रीति से समिति को आवेदन करेगा।

(2) समिति उप-धारा-(1) के अधीन प्राप्त आवेदनों की इस प्रकार जाँच-पड़ताल करेगी जो वह उपयुक्त समझे तथा या तो निधि हेतु आवेदक का नामांकन करेगी या कारणों को अभिलिखित करते हुए आवेदन को नामंजूर करेगी।

परन्तु आवेदन को नामंजूर करने का आदेश तबतक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुने जाने का अवसर न दिया जाए ।

(3) हर आवेदक समिति के लेखा के लिए आवेदन के साथ एक सौ रूपये का आवेदन शुल्क भुगतान करेगा।

(4) हर आवेदक निधि में नामांकन या पुनर्नामांकन के समय एक सौ रूपये नामांकन शुल्क का भुगतान करेगा।

(5) निधि के सदस्य के रूप में नामांकित हर व्यक्ति 2000/- रू0 सदस्यता शुल्क का भुगतान करेगा, जो दो अर्धवार्षिक किस्तों में भुगतेय होगा।

(6) निधि का प्रत्येक सदस्य नामांकन के समय अपने परिवार से एक या अधिक आश्रितों को मनोनीत कर सकता है जो उसकी मृत्यु की दशा में रकम प्राप्त करेगा ;

परन्तु यदि उसका कोई परिवार नहीं हो तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है जिसे वह पसंद करता है।

(7) यदि एक से अधिक व्यक्ति मनोनीत हैं तो प्रत्येक नामिती को भुगतेय हिस्सेदारी की रकम मनोनयन में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(8) निधि का कोई सदस्य नये मनोनयन के साथ-साथ समिति को लिखित सूचना भेजकर किसी भी समय मनोनयन रद्द कर सकता है।

(9) किसी सेवा से सेवानिवृत्त और पेंशन पाने वाला कोई व्यक्ति निधि की सदस्यता ग्रहण नहीं करेगा।

(10) शिकायत प्राप्त होने पर या अन्यथा समिति को ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि कोई अधिवक्ता लिपिक दुर्व्यपदेशन, कपट या अनुचित प्रभाव के चलते निधि के सदस्य के रूप में नामांकन करा लिया है तो समिति के पास ऐसे अधिवक्ता लिपिक को निधि की सदस्यता से नाम हटाने का अधिकार होगा ;

परन्तु ऐसे व्यक्ति, जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, के विरूद्ध ऐसा आदेश तबतक पारित नहीं किया जाएगा जबतक कि उसे सुने जाने का अवसर न प्रदान किया गया हो।

16. **नियोजन समाप्त होने पर निधि से भुगतान :-**

(1) निधि का कोई सदस्य नियोजन की समाप्ति के पश्चात अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर निधि से रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में नामिती को या जहाँ नामिती नहीं हों वहाँ उसके आश्रित को पचास हजार रूपये की समेकित रकम का भुगतान किया जाएगा।

(3) निधि का कोई सदस्य निधि की सदस्यता के रूप में अपने नामांकन के पाँच वर्षों के पश्चात किसी भी समय अपनी सदस्यता वापस ले सकेगा तथा ऐसी सदस्यता वापस लेने पर वह अनुसूची से विनिर्दिष्ट दर पर निधि से रकम प्राप्त करने का हकदार होगा और वह नए सदस्य के रूप में निधि में नामांकन के लिए यथा विहित शर्तों के अध्यधीन पात्र भी होगा ;

परन्तु स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त कोई सदस्य निधि में अपने नामांकन के पाँच वर्षों के भीतर भी अपनी सदस्यता वापस ले सकता है।

(4) इस अधिनियम के अधीन भुगतान के प्रयोजनार्थ नियोजन- अवधि की गणना के लिए निधि में सदस्य के नामांकन के पूर्व किसी अधिवक्ता के अधीन नियोजन का हर चार वर्ष, यदि कोई हो, नियोजन का एक वर्ष के रूप में संगणित किया जाएगा तथा ऐसे नामांकन के पश्चात नियोजन के वर्षों की संख्या में इसे जोड़ दिया जाएगा।

(5) निधि से भुगतान के लिए समिति के पास कोई आवेदन यथा विहित फारम में किया जाएगा।

(6) उप-धारा-(5) के अधीन प्राप्त आवेदन का निपटान समिति द्वारा यथावश्यक जाँच पड़ताल के पश्चात किया जाएगा।

17. **निधि के सदस्यों के हित में अन्यसंक्रामण, जब्ती आदि पर पाबंदी :-**

(1) निधि से कोई रकम प्राप्त करने के लिए निधि के सदस्य या उसके नामिती या विधिक उत्तराधिकारी के हित या अधिकार का समनुदेशन, अन्यसंक्रामण या प्रभार्य नहीं किया जाएगा तथा न किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकार की डिक्री या आदेश के अधीन जब्त किया जाएगा।

(2) कोई जमाकर्ता निधि या उसमें निधि के किसी सदस्य या उसके नामिती या विधिक उत्तराधिकारी के हित के विरूद्ध कार्यवाही चलाने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनार्थ जमाकर्ता में राज्य या कोई शासकीय समनुदेशिती या तत्समय प्रवृत्त दिवालियापन से संबंधित विधि के अधीन नियुक्त शासकीय रिसीवर शामिल है।

18. **सदस्यों के लिए समूह जीवन बीमा और अन्य लाभ :-**

(क) निधि के सदस्यों के कल्याण के लिए समिति भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमा कम्पनियों से निधि के सदस्यों के जीवन पर समूह बीमा की पॉलिसी लेगी ; और

(ख) निधि के सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए यथा विहित चिकित्सीय एवं शैक्षणिक सुविधा तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी।

19. **समिति की बैठक :-**

(1) इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए नियम के अधीन अपने कार्य सम्व्यवहार के लिए समिति तीन माह में कम-से-कम एक बार या अवश्यक होने पर उससे अधिक बैठक करेगी।

(2) समिति की बैठक की गणपूर्ति उसके पाँच सदस्यों से पूरी होगी।

(3) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) समिति की बैठक के समक्ष लाये गये किसी मामले पर बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाएगा तथा बराबर मत पड़ने की दशा में अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

20. **समिति के सदस्यों के लिए यात्रा एवं दैनिक भत्ता :-**

समिति के मनोनीत सदस्य यथा विहित परिवहन एवं दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।

21. **पुनर्विलोकन :-**

समिति किसी भी समय स्वप्रेरणा या किसी हितबद्ध व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर अपने द्वारा पारित किसी आदेश का नब्बे दिनों के भीतर पुनर्विलोकन कर सकती है;

परन्तु समिति किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव वाला कोई आदेश तबतक पारित नहीं करेगी जबतक कि ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर न दिया गया हो।

22. **सद्भाव पूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण :-**

(1) इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए किसी नियम के अनुपालन में सद्भाव पूर्वक की गयी या की जाने से आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जाएगी।

(2) इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गए किसी नियम के अनुपालन में सद्भाव पूर्वक की गयी या की जाने से आशयित किसी बात से हुई क्षति या क्षति की संभावना के लिए समिति या विधिज्ञ परिषद् के विरूद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं चलायी जाएगी।

23. **सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन :-**

किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न या मामले को परिनिर्धारित, विनिश्चित या अवधारित करने की अधिकारिता नहीं होगी जिनको इस अधिनियम के अधीन परिनिर्धारित, विनिश्चित या कार्रवाई करना या अवधारित करना अपेक्षित है।

24. **साक्षियों को सम्मन देने और साक्ष्य लेने की शक्ति :-**

इस अधिनियम के अधीन किसी जाँच-पड़ताल के प्रयोजनार्थ समिति को वही शक्ति होगी जो निम्नलिखित मामले के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित है -

क. किसी व्यक्ति को हाजिर कराना तथा शपथ पत्र पर परीक्षण कराना ;

ख. दस्तावेजों को प्रकटीकरण एवं प्रस्तुतीकरण ;

ग. शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ; और

घ. साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना।

25. **नियम बनाने की शक्ति:-**

1. सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

2. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के तुरंत बाद विधान सभा के समक्ष, जब वह चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र या दो उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा तथा यदि उस सत्रावसान के पूर्व जिसमें यह रखा गया है या उसके ठीक बाद आने वाले सत्र में विधान सभा इस नियम में कोई उपांतरण करती है अथवा विनिश्चित करती है कि यह नियम नहीं बनाया जाए तो यह नियम यथास्थिति, उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा प्रभावी ही नहीं होगा तथापि ऐसा उपांतरण या बातिलीकरण उस नियमावली के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

यह विधेयक झारखण्ड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि विधेयक, 2018 दिनांक 20 जुलाई, 2018 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 20 जुलाई, 2018 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 39--50--3-8-2018